प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक-20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 15-22 मई 2017 मूल्य पांच रूपए

सरकारी तन्त्र के उत्पीडन से

न्याय के लिये अनशन पर बैठने के कगार पर पहुंचे सुरेश तोमर

शिमला/शैल। पावंटा साहिब के ग्राम भैला के सुरेश तोमर ने देश के प्रधानमंत्री, मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह, मुख्य सचिव और प्रदेश उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाकर सभी जगह न्याय के लिये गुहार लगाते हुए यह हताशा व्यक्त की है कि यदि अब भी उसे न्याय न मिला तो उसके पास अनशन पर बैठने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही रह जायेगा। सुरेश तोमर इस स्थिति तक क्यों और कैसे पहुंचे हैं इसके लिये उनके पूरे मामले को समझने के साथ ही सारे संबद्ध तन्त्र की नीयत और नीति को समझना भी आवश्यक है।

तोमर की कहानी हिमाचल सरकार द्वारा कुमार हट्टी-सराहन-नाहन रोड़ को चौड़ा करने के लिये दिल्ली के सोमदत्त बिल्डरज़ प्रा.लि. को 14.10.2009 को 142 करोड़ का ठेका देने से शुरू होती है। तोमर ने इस कंपनी के पास बतौर Sub contractor काम किया। तोमर को कंपनी ने 28 फरवरी को ही काम की साईट दे दी और उसने उसी दिन काम शुरू कर दिया। लेकिन लिखित में कान्ट्रैक्ट 16 अप्रैल को हस्ताक्षिरत किया। इस कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक तोमर को करीब आठ माह मे काम पूरा करके कंपनी को देना था। कान्ट्रैक्ट की शर्तो के मुताबिक जितना काम होता जायेगा उसको नाप कर हर माह की दस तारीख को पेमैन्ट कर दी जायेगी। कंपनी नियमित रूप से उसके काम को नापती रही लेकिन उसकी उसे पेमैन्ट नियमित नही दी गयी। केवल 24.5.2012 को उसे 3,65,662 रूपये की अदायगी की गयी। कंपनी से पेमैन्ट न मिलने के कारण तोमर को अपनी लेबर को पेमैन्ट करना कठिन होता गया। कंपनी से जब भी पेमैन्ट मांगी गयी तो कंपनी यह बहाना करती रही कि उसका काम measurable नही है और इस कारण इस समय तक तोमर ने करीब 70 से 80% काम भी पूरा कर दिया था। लेकिन पेमैन्ट न मिलने से उसे काम जारी रखना कठिन हो गया। पेमैन्ट के लिये कंपनी के अधिकारियों से लेकर संबद्ध विभाग के अधिकारियों तक सबको संपर्क किया गया। कंपनी वही बहाना काम के measurable न होने का करती रही और एचपीआरआईडीसी ने यह कहकर दखल देने से मना कर दिया कि तोमर कंपनी की ओर से नीमित सब कान्ट्रैक्टर नहीं है। सरकारी तन्त्र और कंपनी की बदनीयत से तोमर का करीब 80 लाख रूपया कंपनी के पास फंसा है। तोमर ने इस काम पर निवेश करने के लिये जो पैसा जुटाया था वह आज उसकी देनदारी बनकर उसके सिर पर खड़ा और परिवार का भरण-पोषण तथा बच्चों की पढ़ाई को चलाये रखना कठिन हो गया है। स्थिति के यहां तक पहुंचने के कारण ही तोमर को आमरण अनशन का कदम उठाने की नौबत आ गयी है।

तोमर को इस स्थिति तक धकेलने में एचपीआरआईडीसी कंपनी और पुलिस तक ने कैसे आपराधिक षड़यंत्र रचा इसका खुलासा कंपनी को दिये कान्ट्रैक्ट की शर्तो को देखने से हो जाता है। सरकार ने एचपीआर आईडीसी के माध्यम से कंपनी को 142 करोड़ का ठेका दिया था जोकि 186 करोड़ में पूरा हुआ है। यह एक मैगा प्रौजेक्ट था। जिसे पूरा करने के लिये कंपनी को सब कान्ट्रैक्टर नियुक्त करने का भी अधिकार था लेकिन ऐसे उप ठेकेदारों के माध्यम से केवल 25% तक का ही काम करवाया जा सकता था। ऐसे उप ठेकेदारों को एचपीआरआईडी के पास नौमिनेट करना भी आवश्यक था। इस काम के लिये विभाग की ओर से एक कन्सलटैन्ट लूईस बर्जर भी नियुक्त थे जिन्हे सरकार ने लाखों रूपये दिये हैं। कन्सलटैन्ट का काम कंपनी के काम पर हर समय नजर रखना और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। HPRIDC को कान्ट्रैक्ट की शर्तो के मुताबिक यह अधिकार हासिल था कि यदि कंपनी किसी भी शर्त की उल्लंघना करती है। तो यह कान्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता था।

जब तोमर और कंपनी में पेमैन्ट का विवाद आता है और उसकी शिकायत HPRIDC से की जाती है तो यह जवाब दिया जाता है कि कंपनी ने आपको विभाग के पास उप ठेकेदार नामित नही किया है। तोमर और कंपनी के बीच उप- ठेकेदार का हस्ताक्षिरत कान्ट्रैक्ट है कंपनी इसे अदालत में भी मान चुकी है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने एक भी Sub contractor विभाग के पास nominate नहीं किया है। जबकि कंपनी में दो सौ से अधिक उप ठेकेदारों ने काम किया है और सबके हस्ताक्षरित कान्ट्रैक्ट हैं। 25% कार्य की शर्त के मुताबिक इतने उप ठेकेदार हो ही नही सकते थे यह शर्तो का उल्लंघन था और इसी पर यह कान्ट्रैक्ट रद्द हो जाना चाहिए था। जब अदालत में कंपनी तोमर को कान्ट्रैक्ट देना स्वीकार कर चुकी है तो विभाग इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। जब उप-ठेकेदार होने का प्रमाण सामने है तो फिर विभाग ने कंपनी के खिलाफ कोई कारवाई क्यों नही की? क्या विभाग के अधिकारियों का कंपनी के साथ कोई बड़ा हित जुड़ा हुआ था। विभाग के प्रमुख सचिव तक सबके संज्ञान में यह ममाला था। लेकिन किसी ने भी तोमर को न्याय देना तो दूर उसे ठीक से सुना तक नही। कंपनी ने तोमर को जो काम अलॉट किया था आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक उसकी 1.18 करोड़ पेमैन्ट विभाग कर चुका है। कंपनी ने अदालत में स्वीकारा है कि तोमर के काम छोड़ देने के बाद उसके शेष बचे काम को एक अन्य से 18 लाख में पूरा करवाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि करीब एक करोड़ का काम तोमर ने किया था। जिसकी पैमेन्ट विभाग ने कंपनी को की है। जबकि कंपनी तोमर को पेमैन्ट न देने के लिये उसका काम measurable न होने का बहाना करती रही है। ऐसे में यदि तोमर का काम नापने योग्य था ही नही तो फिर विभाग ने एक करोड़ की पेमैन्ट कैसे कर दी? क्या यह पेमैन्ट बिना काम के की गयी और इसमें विभाग की कुछ मिलीभगत थी? आरटीआई में सामने आयी जानकारियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जितना बड़ा यह काम था कंपनी की नीयत भी उसी अनुपात में सही नही थी और इस सबमें विभाग के अधिकारियों की मिली भगत भी उतनी ही थी।

शेष पृष्ठ 2 पर..........

राज्य सहकारी बैंक की हिम ऋण निवारण योजना सवालों में

सीमा वर्मा का मामला चर्चा में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पिछले कुछ समय से ''शेडयूल्ड बैंक'' की श्रेणी में आ गया है और अब वाणिज्यिक ऋण देने का भी अधिकारी हो गया है। बैंक ने 05-05-2017 से हिम ऋण निवारण योजना शुरू कर रखी है। इस योजना के तहत कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, फर्म, पार्टनरशिप फर्में जिनके खाते 31-3-2011 या इससे पहले ही एनपीए हो गये हो योजना के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्जदारों को ओटीएस के तहत बहुत सारी सुविधाएं दी गयी हैं। यह योजना 31.3.2011 को या उससे पहले ही एनपीए हो चुके कर्जदारों पर ही लागू होगी। बैंक 31.3.2011 के बाद ही शेडयूल्ड बैंक

In the Court Of Collector Settlement (ASO) Shimla District at Shimla-9

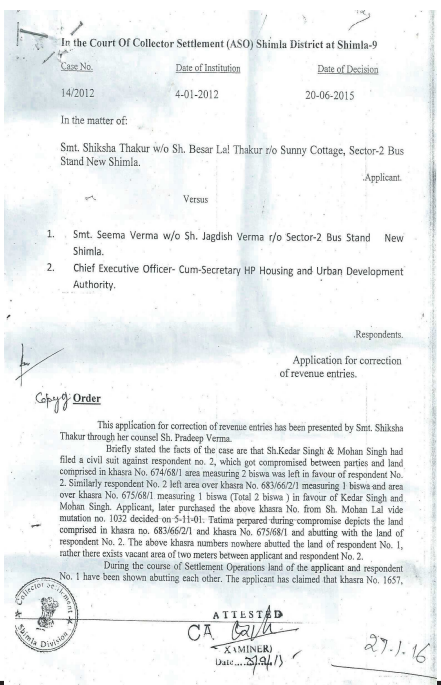

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
14/2012	4-01-2012	20-06-2015

In the matter of:

Smt. Shiksha Thakur w/o Sh. Besar Lal Thakur r/o Sunny Cottage, Sector-2 Bus Stand New Shimla.

.Applicant.

Versus

1. Smt. Seema Verma w/o Sh. Jagdish Verma r/o Sector-2 Bus Stand New Shimla.
2. Chief Executive Officer- Cum-Secretary HP Housing and Urban Development Authority.

.Respondents.

Application for correction of revenue entries.

Order

This application for correction of revenue entries has been presented by Smt. Shiksha Thakur through her counsel Sh. Pradeep Verma.

Briefly stated the facts of the case are that Sh.Kedar Singh & Mohan Singh had filed a civil suit against respondent no. 2, which got compromised between parties and land comprised in khasra No. 674/68/1 area measuring 2 biswa was left in favour of respondent No. 2. Similarly respondent No. 2 left area over khasra No. 683/66/2/1 measuring 1 biswa and area over khasra No. 675/68/1 measuring 1 biswa (Total 2 biswa) in favour of Kedar Singh and Mohan Singh. Applicant, later purchased the above khasra No. from Sh. Mohan Lal vide mutation no. 1032 decided on 5-11-01. Tatima perpared during compromise depicts the land comprised in khasra no. 683/66/2/1 and khasra No. 675/68/1 and abutting with the land of respondent No. 2. The above khasra numbers nowhere abutted the land of respondent No. 1, rather there exists vacant area of two meters between applicant and respondent No. 2.

During the course of Settlement Operations land of the applicant and respondent No. 1 have been shown abutting each other. The applicant has claimed that khasra No. 1657,

ATTESTED

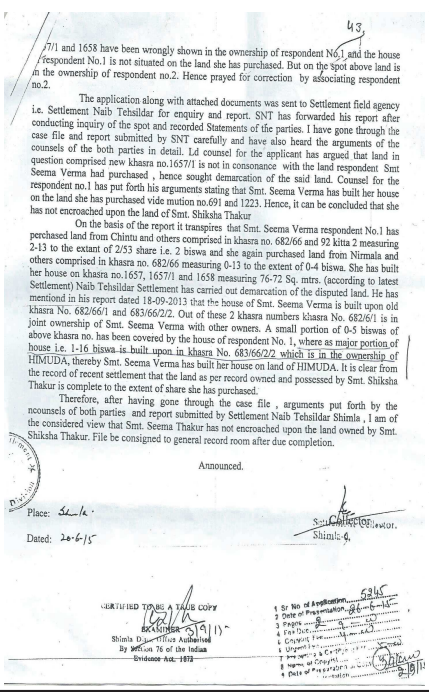

(EXAMINER)

Date...

43

…7/1 and 1658 have been wrongly shown in the ownership of respondent No.1 and the house …respondent No.1 is not situated on the land she has purchased. But on the spot above land is in the ownership of respondent no.2. Hence prayed for correction by associating respondent no.2.

The application along with attached documents was sent to Settlement field agency i.e. Settlement Naib Tehsildar for enquiry and report. SNT has forwarded his report after conducting inquiry of the spot and recorded Statements of the parties. I have gone through the case file and report submitted by SNT carefully and have also heard the arguments of the counsels of the both parties in detail. Ld counsel for the applicant has argued that land in question comprised new khasra no.1657/1 is not in consonance with the land respondent Smt Seema Verma had purchased , hence sought demarcation of the said land. Counsel for the respondent no.1 has put forth his arguments stating that Smt. Seema Verma has built her house on the land she has purchased vide mution no.691 and 1223. Hence, it can be concluded that she has not encroached upon the land of Smt. Shiksha Thakur

On the basis of the report it transpires that Smt. Seema Verma respondent No.1 has perchased land from Chintu and others comprised in khasra no. 682/66 and 92 kitta 2 measuring 2-13 to the extant of 2/53 share i.e. 2 biswa and she again purchased land from Nirmala and others comprised in khasra no. 682/66 measuring 0-13 to the extent of 0-4 biswa. She has built her house on khasra no.1657, 1657/1 and 1658 measuring 76-72 Sq. mtrs. (according to latest Settlement) Naib Tehsildar Settlement has carried out demarcation of the disputed land. He has mentiond in his report dated 18-09-2013 that the house of Smt. Seema Verma is built upon old khasra No. 682/66/1 and 683/66/2/2. Out of these 2 khasra numbers khasra No. 682/6/1 is in joint ownership of Smt. Seema Verma with other owners. A small portion of 0-5 biswas of above khasra no. has been covered by the house of respondent No. 1, where as major portion of house i.e. 1-16 biswa is built upon in khasra No. 683/66/2/2 which is in the ownership of HIMUDA, thereby Smt. Seema Verma has built her house on land of HIMUDA. It is clear from the record of recent settlement that the land as per record owned and possessed by Smt. Shiksha Thakur is complete to the extent of share she has purchased.

Therefore, after having gone through the case file , arguments put forth by the ncounsels of both parties and report submitted by Settlement Naib Tehsildar Shimla , I am of the considered view that Smt. Seema Thakur has not encroached upon the land owned by Smt. Shiksha Thakur. File be consigned to general record room after due completion.

Announced.

Place: Shimla.
Dated: 20-6-15

Collector, Shimla-9.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
EXAMINER
Shimla Dist. Office Authorised
By Section 76 of the Indian
Evidence Act. 1872

1 Sr No of Application 5245
2 Date of Presentation 26-6-15

शेष पृष्ठ 2 पर.........

बच्चों को बताएं,पानी की बूंद-बूंद कीमती:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि ईश्वर की बनाई व्यवस्था में सहयोगी बनते हुए पानी का उतना ही उपयोग करें जितने की आवश्यकता है। पानी की एक-एक बूंद कीमती है और भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए पानी का संरक्षण करें और स्कूलों के माध्यम से बच्चों में जल संरक्षण का संदेश दें ताकि समाज इस बाबत जागरूक बने।

राज्यपाल आकलैंड हाउस स्कूल, शिमला में 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र द्वारा आयोजित 'जल संरक्षण विमर्श' के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने से पूर्व वे राज्य में घूमने आया करते थे। उस समय की स्मृतियों को ताजा करते हुए उन्होंने बताया कि यहां सड़क किनारे चश्मे और जल-प्रपात अक्सर देखने को मिलते थे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अब ये लुप्त हो गए हैं और जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। उन्होंने हैरानी व्यक्त की कि हिमाचल जैसे नदियों के प्रदेश में भी जल की कमी है। उन्होंने इसे लापरवाही का परिणाम बताया।

राज्यपाल ने कहा कि समस्या को तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक ग्रामीण स्तर पर पानी की खपत और उपयोग के तरीके को नहीं समझेंगे। उन्होंने स्कूली बच्चों से भी आग्रह किया कि वे छुटियों के दौरान कुछ समय ग्रामीण परिवेश में बिताएं ताकि हम आज की अत्याधुनिक व विलासता पूर्ण संस्कृति से हटकर अपनी उच्च संस्कृति और प्रकृति के नजदीक जा सकें।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक बारिश होती है, जिसे हम संरक्षित नहीं कर पाते हैं। उन्होंने मैगसेसे पुरस्कार विजेता जलपुरूष डॉ. राजेन्द्र सिंह के सहयोग से आरम्भ किए गए जल संरक्षण सांक्षरता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अच्छे समाज की संरचना के लिए ऐसे व्यक्तियों व संस्थानों का सम्मान होना चाहिए, जो जल बचाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने हैं और बिजली की बचत जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रवादी सोच और सामाजिक जागरूकता के लिए समाचार पत्र के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए हर सामाजिक विषय को समाचार पत्र ने अभियान के रूप में लिया है और निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि जल को बचाने के लिए चेतना कागज में न रहकर व्यवहार में आनी चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया।

राज्यपाल का और अधिक चैकडैम के निर्माण पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश में चैकडैम पानी की सुरक्षा का आधार हैं और राज्य सरकार को चैकडैम की महता के दृष्टिगत इस ओर और अधिक धयान देते हुए इनका व्यापक स्तर पर निर्माण करवाना चाहिए ताकि सूख गए जल स्रोतों को पुर्नजीवित किया जा सके।

राज्यपाल राजकीय डिग्री कालेज, संजौली द्वारा दि सद्गुरू एजुकेशन एण्ड

वेल्फेयर एसोसिएशन (सेवा) के सहयोग से 'भारत की जल संस्कृति' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंत:विषय सम्मेलन में बोल रहे थे।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि चौकडैम बहते पानी तथा भूमि कटाव को रोकने में कारगर साबित हुए हैं और इससे बाढ़ पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। इससे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी और वन क्षेत्र स्वत: विकसित होंगे तथा पर्यावरण के संरक्षण का अभियान इससे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी और किसानों को चैकडैम से पानी मिलेगा तथा प्रदेश में जल का अभाव नहीं रहेगा। इस अभियान को सरकार के सहयोग से सभी गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों को जोड़कार पूरा किया जाएगा।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि पानी के प्रति हम लोगों को जितना जागरूक व गंभीर करेंगे उतनी चेतना आएगी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग इस दिशा में सहयोगी बन रहे हैं तथा प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। इसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। इस बारे में सरकार की ओर से बड़े स्तर परयोजनाएं लोगों के सहयोग से बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एक चुनौती है और इससे निपटने के लिए विचारों को व्यवहारिक रूप दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों ने कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि मानव ने ही इसका दुरूपयोग किया है, जिसके लिए हमारा स्वार्थ व भोगवादी संस्कृति अधिक जिम्मेदार है। उन्होंने शिक्षक वर्ग का आहवान किया कि पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करें। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का निवर्हन कर तथा समाज में मानसिक बदलाव लाकर इस दिशा में भागीदार बन सकता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर, डॉ. हर्षा त्रिवेदी द्वारा लिखी पुस्तक 'नाटककार दयाप्रकाश सिन्हा' का विमोचन भी किया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के कुलपति प्रो. ए.डी.एन बाजपेयी ने इस अवसर पर कहा कि गिरते जल स्तर के वैज्ञानिक मैपिंग के आंकड़े गंभीर हैं और ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए उपयोग की दर को कम करने और जल स्रोतों का संरक्षण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल है तो संस्कृति है और सांस्कृतिक विकारों से बचने के लिए जल का संरक्षण जरूरी है।

राज्यपाल ने किया 'द स्टैपिंग स्टोनज टु सक्सेस' का विमोचन

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन, शिमला में डॉ. प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'द स्टैपिंग स्टोनज टु सक्सेस' का विमोचन किया। यह पुस्तक जीवन दर्शन को सुदृढ़ करने के प्रयासों पर आधारित है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि यह पुस्तक पाठकों को नई दिशा व सोच प्रदान करने में सक्षम है और यह कई मायनों में उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पुस्तक में महान विचारकों जैसे गौतम बुद्ध, संत कबीर, विन्सटन चर्चिल, डेल कारनेगी, स्पीनोजा, पीटर ड्रकर, फांसिस बेकन, नेलसन मंडेला जैसी महान हस्तियों के प्रेरणात्मक जीवन संदेश को दर्शाया गया है, जो सभी के लिए उपयोगी है। उन्होंने लेखक को उनके इस प्रयास के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पुस्तक निश्चित तौर पर उत्साह, प्रेरणा, सदाचार एवं कुशल एवं सफल जीवन जीने के लिए मील पत्थर साबित होगी। डॉ. प्रमोद शर्मा ने इस मौके पर राज्यपाल को अवगत करवाया कि पुस्तक में कुल 35 अध्यायों को सम्मिलित किया गया है, जो जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं।

डॉ. प्रमोद शर्मा की धर्मपत्नी कंचन शर्मा, जो स्वयं भी एक लेखिका हैं, भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

जन-जातीय उप योजना के तहत पांगी में 33 करोड़ 46 लाख रुपये के बजट का प्रावधान

शिमला/शैल। वर्ष 2017-18 में जन-जातीय उप योजना (Tribal Sub Plan) के तहत पांगी क्षेत्र के लिए 33.46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह शब्द ठाकुर सिहं भरमौरी वन एवं मत्स्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ने परियोजना सलाहकार समीति पांगी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए किलाड़ (पांगी) में कहे। विभिन्न विभागों के उच्च एवं सलाहकार समीति के सदस्यों के साथ बैठक में पांगी घाटी में किए जा रहे विभिन्न कार्यो की समीक्षा की गई। भरमौरी ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो में प्रगति लानी चाहिए। उनके अनुसार भौगोलिक परिस्थिति के कारण पांगी क्षेत्र में कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा कम समय मिलता है। इसलिए यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों को दोगुनी मेहनत के साथ काम करने चाहिए।

सड़क, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा में गुणवता तक के सभी कार्यो व याजनाओं के बारे में बैठक में चर्चा की गई। बैठक में भरमौरी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचना तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्ररित किया। उन्होंने कहा कि सूचना के आदान-प्रदान के लिए ई-मेल व वट्सऐप जैसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे नई से नई योजनाओं की जानकारी को उच्च कार्यालयों से प्राप्त कर स्थानीय लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। बेरोज़गारी भता के बारे में चर्चा के दौरान वन मंत्री ने रोज़गार कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पांगी घाटी के बेरोज़गार युवाओं को जल्द से जल्द भता दिया जाए। भरमौरी ने यह भी बताया कि पांगी उप मण्डल में चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 1.68 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जिनमें मुख्यमन्त्री आदर्श योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम, गृह निर्माण/मुरम्मत अनुदान योजना, अपंग छात्रवृति/ अपंग विवाह अनुदान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जागरुकता कैम्प दत्यादि जैसे कार्य किए जा रही हैं।

बैठक में राम चरण, पूर्व वूल फैडरेशन अध्यक्ष, श्री कृष्ण चोपड़ा जनजातीय सलाहकार समीति के सदस्य, देवेन्द्र शर्मा ब्लाक कांग्रेस कमेटी(पांगी) अध्यक्ष, अमरदेई पूर्व पंचायत समीति के अध्यक्ष, ज्ञान सिंह चौहान, बृज लाल ठाकुर, विभिन्न विभागों के अधिकारी जैसे अनिल शर्मा अरण्यपाल चम्बा, सुरेंन्द्र कुमार मुसाफिर निदेशक वन निगम, डॉ. सुरेन्द्र ठाकुर एस. डी. एम. राजीव कुमार बत्रा अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग आदि शामिल थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer , Bilaspur Division No. 2 HPPWD, Bilaspur on behalf of Governor of H.P. invites the item rate bids in electronic tendering system for construction under AMP funds for each of the following works fromeligible and approved contractors registered with HPPWD.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs.	Earnest Money Rs.	Cost of Form Rs.	Eligible Class of Contractor	Time Limit
1.	Annual Mainteneace plan for the year 2017-18 for Rural roads on link road Dabat to Road Jaman km 1/00 to 3/700 (SH:- providing and Laying 20mm thick premix carpet, seal coat type B under PMGSY (Package No. 01-28)	1566835/-	31000/-	500/-	Class A to D	Two Month

2. Date of release of Invitation for Bids through e-procurment: 01.06.2017(dd/mm/yyy)
3. Cost of Bid Form: **Rs. 500** per (Non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer , Bilaspur Division No. 2 HPPWD Bilaspur.
4. Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website *http://hptenders.gov.in*. Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the *website:https://hptenders.govt.in*. in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
** Non- registered bidders may submit bids, however , the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before singing the contract*
5. SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security in approved form and (c) form no 7/8 duly signed by contractor with bid document as per provisions of general rules No. 27 with Executive Engineer , Bilaspur Division No. 2, HP PWD Bilaspur on or before 12.06.2017 at 11:30 AM for opening of Technical Bid either by registered post or by hand , failing which the bids will be declared non -responsive.
6. Last Date /Time for receipt of bids through e- tendering **12.06.2017** (dd/mm/yyyy) up to **10:30**A.M.(time).
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, thereof. Bids must be submitted online website http://hptenders.gov.in. The technical bids shall be opened on 12.06.2017 11:30 A.M. hrs in the office of Executive Engineer, Bilaspur Division No .2 HPPWD Bilaspur by the authorized officer in the interest of tenders are advised to be pres along with original documents at the time of opening of tenders if the office happen be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days .after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control .Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender

Adv. No.-0663/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

कांग्रेस नेताओं का वीरभद्र सिंह से अर्की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अर्की में कांग्रेस नेताओं को एक मंच पर तो ले आये पर उनके इस कार्यक्रम से स्थानीय जनता में यह चर्चा चल पड़ी है कि अर्की में कांग्रेस को एक जुट करने के लिये वीरभद्र सिंह को यहां की ओर रूख करना पड़ेगा। स्वर्गीय धर्मपाल ठाकुर के बाद से अर्की में कांग्रेस का कुनबा बुरी तरह से बिखरा पड़ा है दो बार तो भाजपा विधायक लगातार जीतकर आ चुकें हैं आज के हालात और मोदी लहर का भाजपा विधायक भरपूर लाभ उठाने को तैयार बैठें हैं और अपनी तीसरी जीत को पक्का मानकर बैठे हैं। इस परिस्थिति में यदि वीरभद्र सिंह अर्की से कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो ही भाजपा को यह सीट निकालने में मुश्किल हो सकती है। स्थानीय लोग भी आज यही चाह रहे हैं कि वीरभद्र या उनके परिवार का कोई सदस्य अर्की से चुनाव लड़े। वैसे भी अर्की में स्व.धर्मपाल ठाकुर के बाद कांग्रेस अर्की में एकजुट नही हो पायी है। अर्की में कांग्रेस हो या भाजपा टिकट की दावेदारी ठाकने वालों की दोनों पार्टियों में कमी नही है। आज भी दोनों पार्टियों के नेता टिकट के लिये अपना-अपना खेल खेलने में लगे हैं। भाजपा से तो तह है कि गोबिन्द राम शर्मा को ही टिकट मिलेगा। अगर वीरभद्र या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव मैदान में नही उतरता है तो कांग्रेस में खीचतान की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस समय वीरभद्र के इस कार्यकाल में राजेन्द्र ठाकुर ने जिस तरह से वीरभद्र व उनके चहेतों से जो नजदीकियां बनाई हैं वह आने वाले समय में अगर टिकट के लिये दावेदारी ठोकते हैं तो हो सकता है वह इसमें सफल रहें। राजेन्द्र ठाकुर राजनीति में काफी समय से सक्रिय हैं अर्की में पिछले चार सालों में जो भी कार्यक्रम वीरभद्र सिहं के हुये हैं उसमें उनका अहम रोल रहा है। वीरभद्र सिंह उनकी कई मौकों पर एक युवा नेता के रूप में प्रशंसा भी कर चुके हैं और वीरभद्र सिंह यह भी

जानते हैं कि वह राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण राजनीतिक समझ रखते हैं युवाओं में भी उनकी अच्छी पैंठ है। कांग्रेस में वैसे भी इस समय दावेदारों की लिस्ट काफी लम्बी है ये तो आने वाला समय ही बतायेगा कि कौन बाजी मारता है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अर्की में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए दाड़लाघाट में कॉलेज खोलने और अर्की में मौजूदा 50 बिस्तरों के अस्पताल में बिस्तर क्षमता के विस्तार की भी घोषणा की।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा अर्की में हाल ही में लगभग 17 निर्वाचन सभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई थीं, लेकिन आज जन सैलाब कहीं अधिक है, जो लोगों की ताकत और कांग्रेस के नेतृत्व में उनके विश्वास का संकेत है। अर्की के लोगों ने पिछले लगभग 10 वर्षो से भाजपा विधायक को चुना है, फिर भी हमारी सरकार ने विकास को लेकर क्षेत्र विशेष से कभी भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के मुख्यमंत्री होते, तो वह विपक्ष के विधायक वाले क्षेत्र को एक भी पैसा आवंटित नहीं करते।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में भाजपा नेता दूसरों की आलोचना व उपहास करते हैं। दूसरों को बुरा-भला कहना उनकी आदत बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता उनकी पत्नी की अकारण आलोचना करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। शायद उनके पास आलोचना के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं से भी वह चुनाव लड़ेंगे, वह निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों का समान करेंगे और अर्की के विकास को विशेष तरजीह देंगे क्योंकि पूर्व में कहीं न कहीं इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है।

मुख्यमंत्री ने सभी कांग्रेसजनों से विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि अर्की में पार्टी के लोग एकजुट हैं और आशा की कि वे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की विजय के लिए इसी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र के समस्त कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से अर्की विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव लड़ने का आग्रह किया।

किलाड़-केलांग मार्ग की हलात देख मंत्री बोले आम जनता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री भरमौरी ने पांगी दौरे के पश्चात शौर से वापसी के दौरान मार्ग में जगह -जगह पत्थर गिरने तथा गड्ढों की वजह से रास्ता अवरुध ा होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह मार्ग आजकल एक मात्र मार्ग है जो पांगी घाटी को शेष प्रदेश से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि साच पास बन्द होने पर इस समय यही एक मार्ग है जिससे लोग दूसरे स्थानों पर आवाजाही करते हैं।

भरमौरी ने कहा कि जगह-जगह रास्ता अवरुध होने के कारण यातायात

में और अधिक कठिनाई बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यदि जनता के प्रतिनिधि को ही यात्रा के दौरान कठिनाईयों का सामना करना पडता है तो आम जनता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। आज के सफर के दौरान कुड़शेल नाला व एक-दो अन्य स्थानों पर रास्ता अवरुध था जहां मन्त्री ने यह चिंता जताई उन्होंने जी.आर.इ.एफ.(GREF) से आग्रह किया कि इस मार्ग की स्थिति को सुधारे जिससे पांगी घाटी के लोगों को सुविधा मिल पाए एवं कम कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

पांगी घाटी में पर्यटन की अपार सम्भावना:भरमौरी

शिमला/शैल। ठाकुर सिहं भरमौरी, ने पांगी घाटी के प्रवास के दौरान सेचू, शूण, चलशरी एवं हिलुटुआन

स्थानों का दौरा किया एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों की समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया एवं मौके पर ही आदेश दिए कि वे समस्याओं का समाधान करें।

मन्त्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अधिकारियों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पडता है क्योंकि उनके घर दूरदराज में स्थित होते हैं। अतः उन्होंने कहा कि इस तरह के दौरों से प्रशासन को लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि वे मौके पर जाकर समस्याओं से अवगत हो पाएं एवं लोगों की कठिनाईयों को समझ पाएं ताकि उनकी समस्याओं के समाधान निकल पाएं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पांगी घाटी में पर्यटन की आपार सम्भावना है। यहां प्राकृति की गोद में आकर न केवल मन को शान्ति का अनुभव होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह स्थान उपयुक्त है क्योंकि यहां की स्वच्छ आवो हवा शरीर को स्वस्थ एवं सुडोल बनाने हेतु आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ईको-टूरिज़म के तहत विभिन्न स्थानों को प्रात्साहित कर रहा है। इसमें पांगी घाटी को प्रमुखता दी जा रही है। उन्होंने पर्यटन विभाग को भी इसके साथ जुडने के लिए कहा। उनका कहना था कि इससे पांगी घाटी तक शेष भारत की जनता को पहुचाया जा सकेगा, जिससे वे यहां की अपार सुन्दरता को देख पाएंगें एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक साधन भी जुटाए जा सकेंगे।

कर्मचारियों के हितों को कैसे कुचला सरकार ने घर-घर जाकर बताएं:धूमल

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने किस तरह कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है इसका बखान पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का हर एक कार्यकर्ता घर घर जाकर करे। समीरपुर विश्राम गृह में जिला के पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने यह बात कही। इस बठैक में प्रकोष्ठ के प्रदेश सयोंजक घनश्याम शर्मा और भाजपा जिला महामंत्री राकेश ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी, सयोंजक और सह सयोंजक भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आने वाले चुनावों की दृष्टि से पुरे दमखम से प्रचार प्रसार करने की प्रतिबधता दोहराई। बैठक में प्रकोष्ठ को केन्द्र सरकार की जनहित योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर बैठे आम व्यक्ति तक प्रचार करने की जिम्मेवारी दी गयी। प्रकोष्ठ के सयोंजक ने बताया की उनकी टीम चुनावों के मद्देनजर हर मोर्चे पर काम करने के लिए फिट है और अपने जीवन के अनुभवों का उपयोग करके प्रकोष्ठ का हर एक सदस्य पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्य करेगा।

संवेदनहीन है वीरभद्र सरकार:अनुरागठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ब्यान, 'जहाँ आबादी है, वहा मौतें होगी ही' पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी सरकार असंवेदनशील है और उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है ।अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे ब्यान देकर वीरभद्र सिंह अपनी भद न पिटवायें और हंसी कापात्र न बने।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से होने वाली मौतों पर ऐसे असंवेदनशील ब्यान देते है उन्हे सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी पता है कि अब उनकी सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इसलिए वो ऐसे असंवेदनशील ब्यान दे रहेहैं। उन्होंने कहा कि, हिमाचल की जनता कुछ ही दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सबक सिखाएगी और उनकी सरकार को घर बिठाएगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पिछले साल शिमला में पीलिया से कई मौते हुई, उस पर भी यह सरकार गंभीर नहीं थी और प्रदेश के स्वास्थ्य समस्याओ पर इस सरकार द्वारा कोई काम नही किया गया।और अब जब शिमला की जनता अपनी उपेक्षा का बदला वोट के माध्यम से शिमला नगर निगम के चुनावों में लेना चाहती थी तो राज्य चुनावआयुक्त के संवैधानिक पद पर बैठे अपने चहेते अधिकारी के साथ मिलकर चुनाव टाल दिए, लेकिन चुनाव चाहे कभी भी हो, जीत तो भाजपा समर्थक प्रत्याशियों की ही होगी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री पर अब उनकी उम्र हावी हो गई है और इस कारण वे ऐसे उल्टे सीधे ब्यान दे रहे है।अनुराग ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री ऐसे बचकाने ब्यान देने से बचे और राज्य के मुखिया होने के नाते, स्वाइन फ्लू पर कड़े कदम उठाये।

रसोई में अगर एल.पी.जी.के चुल्हे जलेंगे तो जंगलों पर भी दबाव कम होगा

शिमला/शैल। ठाकुर सिहं भरमौरी वन एवं मत्स्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ने पांगी की साच पंचायत में एल. पी.जी. सिलण्डर के गोदाम का शिलान्यास किया। 33 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस गोदाम से पांगी घाटी की पांच पंचायतों को लाभ मिलेगा। इस गोदाम से साच, कुमार, साली, सेचु एवं सुन पंचायतों की लगभग चार हज़ार आबादी को गैस आपूर्ति की जाएगी। इससे पहले भरमौरी ने लुज पंचायत के 23 लाख रुपये से निर्मित होने वाले पशु औषधालय की भी आधारशिला रखी। मंत्री ने बताया कि साच में गैस भण्डारण खुलने से जहां न केवल गृहणियों को लाभ होगा वहीं जंगलों पर भी दबाव कम होगा।

उन्होंने इस अवसर पर यह भी बताया कि साच उप मण्डल में इस वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क, पुल व भवन इत्यादि कार्यो पर सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि पांगी घाटी की कुल सोलह पंचायतों से आठ पंचायतें साच उप मण्डल के अधीन आती है, जिनमें साच, कुमार, साली, सेचु, सुन, मिन्दल, रेई व पुर्थी शामिल हैं। पांगी प्रवास के तीसरे दिन, वन एवं मत्स्य मन्त्री ने फिडरु, साच, कुठल, घिसल, गलौर, साली गांव के लोगों से मुलाकात की व जन समस्याएं सुनी। मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भरमौरी ने लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के भी निर्देश दिए।

इस बात को व्यक्त मत होने दीजिये कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाये रखिये और इस काम को करने के लिए दृढ रहिये .....चाणक्य

सम्पादकीय

मोदी सरकार के तीन वर्ष

केन्द्र में मोदी सरकार को सत्ता में तीन वर्ष हो गये हैं यह तीन वर्ष का समय आकलन के लिये एक पर्याप्त आधार माना जा सकता है। इन तीन वर्षो में राजनीतिक पटल पर यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार को इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता मिली है क्योंकि दिल्ली, बिहार और पंजाब को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में उसकी सरकारें बनी है जहां – जहां चुनाव हुए। इस राजनीतिक सफलता से यह माना जा रहा है कि निकट भविष्य में होने वाले विधानसभाओं के चुनावों में भी उसे सफलता मिलेगी। लेकिन क्या इस सफलता के सहारे वह 2019 के लोकसभा चुनावों में भी 2014 जैसी ही सफलता हासिल कर पायेगी यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भ्रष्टाचार और कालेधन को लेकर पहले स्वामी रामदेव और फिर अन्ना हजारे के आन्दोलनों ने जो वातावरण खड़ा कर दिया था और उसके परिणामस्वरूप जो जन अपेक्षाएं सरकार को लेकर बन गयी थी वह अभी पूरी नहीं हो पायी हैं। बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि उन अपेक्षाओं के संद्धर्भ अभी ठोस कुछ भी नहीं हुआ है। कालेधन के जो आंकड़े उछाले गये थे तथा हर व्यक्ति के खाते जो पैसा आने के स्वप्न दिखाये गये थे वह अभी ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। अलबत्ता जो मंहगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इस सरकार के बनने से हपले जिस पायदान पर खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। इस दिशा में भाषणों में तो बड़ी उपलब्धियां परोसी जा रही हैं लेकिन वह हकीकत से बहुत दूर हैं।

इस दौरान सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें जनधन योजना का नाम सबसे पहले आता है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की पहुंच बैंक खातों तक तो बन गयी है। जीरो बैलेनस से यह खाते खुल गये हैं लेकिन क्या इन खातो में लगातार ट्रांजैक्शन हो रही है? क्या इन गरीब लोगों की नियमित रूप से इन खातों में कुछ जमा करवाने की हैसियत बन पायी है? या यह खाते केवल सरकार से मिलने वाली सबसिडि का लेखाजोखा होकर ही रह गये हैं। इनमें से कितने खाते एनपीए हो गये हैं यदि बैंको की गणित से इन खातों को देखा जाये तो एक खाता खोलने के लिये कम से कम बीस रूपये का खर्च आया है और खाता जीरो बैलेन्स पर बरकरार है फिर नोटबंदी के दौरान इन्ही खातों का दुरूपयोग भी हुआ है इस तरह जनधन योजना को कोई उपलब्धि करार देना ज्यादा सही नहीं होगा। इस योजना के बाद सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार किया जाना दूसरी उपलब्धि कही जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पैन्शन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना की गिनती हो रही है। लेकिन ऐसी ही योजनाएं पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में चल रही थी अब इनका दायरा कुछ बढ़ा दिया गया है लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से क्या लाभान्वित व्यक्ति की आय के स्त्रोत में कोई नियमित बढ़ौत्तरी सुनिश्चित हो पायी है क्या उसके लिये कोई रोजगार का स्थायी अवसर सृजित हो पाया है? दुर्भाग्य से ऐसा नही हो पाया है बल्कि वह सरकार पर ज्यादा आश्रित हो गया है। सामाजिक सुरक्षा के बाद अनुसूचित जाति, अनुसुचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गौण उद्यमीयों के लिये मुद्रा बैंक के जरिये संस्थागत समर्थन का प्रबन्धन किया गया है। इसके लिये 1,37,449,27 करोड़ की धन राशी स्वीकृत की गयी है। इस योजना को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लागू करेगा और निगम को इसके लिये 200 करोड़ जारी भी कर दिये गये हैं। इससे पूर्व भी यूपीए सरकार के समय में भी इन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वित्त निगम कार्य कर रहे थे। बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग तक गठित थे जिन्हे अब बन्द किया जा रहा है। इसलिये कुल मिलाकर आर्थिक संद्धर्भ में समाज के गरीब वर्गो के लिये यूपीए और एनडीए की योजनाओं में कोई भी गुणात्मकता अन्तर अभी सामने नजर नही आ रहा है।

बल्कि कॉरपोरेट जगत के लिये यह सरकार ज्यादा उदार नजर आ रही है। जो बैंक अपने एनपीए के बोझ तले दबकर बन्द होने के कगार पर पंहुच गये थे उन्हें सरकार ने नये सिरे से जीवन दे दिया है। बड़े उद्योगपतियों के लिये आर्थिक पैकेज पहले की तर्ज पर ही आज भी जारी हैं बल्कि बढ़े है। आज एक तरह से अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जाने की बात की जा रही है उसी के लिये योजनाएं बन रही हैं। जबकि देश की जमीनी हकीकत यह है कि जहां सरकारें जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के दावे कर रही हैं उसके अनुपात में बीपीएल और सार्वजनिक ऋण के आंकडे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी यह तथ्य सार्वजनिक चर्चा में नही आ पा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द आम आदमी इस हकीकत से वाकिफ होने जा रहा है क्योंकि उसी रसोई का खर्च और स्कूल जाते बच्चे की फीस में कोई कमी आने की बजाये उसमें बढ़ौत्तरी ही देखने को मिल रही है। यदि सरकार समय रहते इस ओर ध्यान नहीं देगी तो कब स्थितियां उसके हाथ से निकल जायें इसका अन्दाजा भी नही लग पायेगा।

वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा दे रही हिमाचल सरकार

प्रदेश सरकार राज्य में वैज्ञानिक खनन पर अंकुश लगाने के प्रति वचनबद्ध है तथा इसके लिए नियमित निरीक्षण एवं समुचित वैधानिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा खनिज नीति में संशोधन किया गया है तथा लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा राजस्व जैसे विभागों की सम्पति को हुई क्षति के लिए उन्हें प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों में लघु खनिज के खनन हेतु नए लघु खनिज अधिनियम अधिसूचित किए गए हैं तथा उसका उल्लंघन करने वालों के लिए 50 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष प्रदेश में अवैध खनन के लगभग 8500 मामले पकड़े गए और उल्लंघन करने वालों से 4.50 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया जबकि वर्ष 2015 – 16 में 9303 मामले पकड़े गए थे जिनसे 4.01 करोड़ रूपये का जुर्माना वसूला गया ।

प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उद्योग विभाग तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है । सम्बन्धित उप – मण्डल अधिकारी की अध्यक्षता में उप – मण्डल स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया गया है जिसमें पुलिस उप – अधीक्षक एवं सहायक वन अरण्यपाल को सदस्य बनाया गया है।

जवाबदेही सुनिश्चित बनाने एवं अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रणाली विकसित की है जिसके अन्तर्गत विभाग के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को नियमित रूप से क्रशर का निरीक्षण करना होगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना होगा ।

प्रदेश के सभी उपायुक्तों को नियमित रूप से मासिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उन्हें लोक निर्माण, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित करने को कहा गया है क्योंकि अवैध खनन के अधिकांश मामले वन भूमि / सरकारी भूमि से गुजरते हैं और यहां से निकाले गए खनिजों को लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे इकटठा किया जाता है। उपायुक्त खनन स्थल का औचक निरीक्षण कर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई खनन का मालिक अवैध रूप डीजल जैनरेटर सैट का उपयोग न कर रहा हो ।

रेत, पत्थर तथा बजरी जैसी भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लघु खनिज स्थलों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की जा रही है । प्रदेश सरकार के इस प्रयास से न केवल राज्य कोष में वृद्धि हुई है बल्कि प्रदेश में अवैध खनन पर भी अंकुश लगा है ।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं खनिज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सड़क, सुरंग एवं जल विद्युत परियोजनाओं जैसी विकासात्मक गतिविधियों से निकले कच्चे माल की स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई है । इससे न केवल प्रदेश में अवैध खनन पर अंकुश लगेगा बल्कि बाजार में लघु खनिजों की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा ।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सुखद परिणाम आ रहे हैं । इससे राज्य में विकासात्मक कार्यो एवं आम लोगों द्वारा निर्माण कार्यो के लिए पर्याप्त मात्र में निर्माण सामग्री भी उपलब्ध हो रही है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है।

सैनिकों के कल्याण के लिये सरकार ने उठाए कारगर कदम

मशीन के पीछे जो इंसान है वह भी पूरी तरह से तंदुरुस्त और सुविधा संपन्न होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडीए सरकार का यह मिशन रहा है। जब लाखों डॉलर की लागत से हथियार प्रणालियों और विभिन्न उपकरणों को खरीदा जाता है, तो सेना के जवान और अधिकारी इनकी बेहतर तरीके से देखभाल करते हैं, ताकि युद्ध के समय इनका प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में इन जवानों और अधिकारियों का भी तंदुरुस्त एवं सुविधा संपन्न होना जरूरी है। एनडीए सरकार ने सत्ता संभालने के बाद, न केवल सैनिकों के भुगतान एवं भत्तों तथा पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई कारगर कदम भी उठाए हैं। देश तब तक युद्ध नहीं जीत सकता, जब तक युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को उनके कल्याण के लिए आश्वस्त न किया जाए। एक असंतुष्ट सैनिक से देश के लिए बलिदान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए एनडीए सरकार सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने और उनके कल्याण के बारे में बातें कर रही है और इस दिशा में कई कारगर कदम भी उठा रही है।

सैनिकों के कल्याण की दिशा में उठाए गए प्रभावशाली कदमों में से एक वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को स्वीकार किया जाना है। देश के सैनिक पिछले चार दशकों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने 07 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लागू करने की घोषणा कर दी। इसके लागू होने से सरकारी खजाने से प्रतिवर्ष करीब 8000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वन रैंक वन पेंशन ने रक्षा सेवा के सैनिकों के बीच पेंशन को लेकर व्याप्त असमानताओं और अस्थिरताओं में सुधार सुनिश्चित किया है। पिछले वर्ष 30 नवंबर तक, पहली किश्त और एकमुश्त भुगतान के तहत 19,64,350 सैनिकों को 3,985.65 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। दूसरी किश्त में 15,46,857 सैनिकों को 2281.63 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया।

इसके अलावा सरकार ने 3 मई, 2017 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर अधिसूचित कर दिया। इससे सेवा कर्मियों के वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि होगी। आयोग ने पहली बार, सभी सैन्य कर्मियों के सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) में काफी अधिक वृद्धि की है और उच्च जोखिम वाली स्थिति में तैनात नौसेना और वायुसेना के जवानों को विशेष भत्ते दिए जाने की अनुशंसा की गई है।

सेवारत और सेवानिवृत्त लाखों सैनिकों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अधिक पॉलिक्लिनिक और रेफरल अस्पतालों की शुरुआत कर कर्मचारी अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) का दायरा बढ़ाया है। सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सुधारों के क्रम में सेवानिवृत्त अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) को पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत कुल 50 लाख लाभार्थी शामिल हैं। फिलहाल इस योजना को 28 क्षेत्रीय केन्द्रों और 426 पॉलिक्लिनिकों के जरिए चलाया जा रहा है। ईसीएचएस लाभार्थियों को नकदरहित उपचार की सुविधा मुहैया कराने के लिए कुल 1445 सिविल अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

महिलाओं को सशक्त करने और उनके कल्याण के मद्देनजर, सरकार ने लड़ाकू टुकड़ियों में महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं और धाराओं में शामिल होने के लिए योग्य बनाया जाए। इस योजना के तहत महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष समरूप समान मानदंडों के अनुसार चुना जा रहा है। इसके अलावा, समरूप समान मानदंडों को स्थायी कमिशन प्रदान करने के लिए महिलाएं एवं शॉर्ट सर्विस कमिशन दोनों तरह के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू किया गया है। 18 जून 2016 भारत की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन तीन महिला लड़ाकू पायलटों को डूंडीगल में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। इसके साथ ही, भारती उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था, जिनके पास महिला लड़ाकु पायलट हैं।

प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के तहत, सेना कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया और संचार नेटवर्क को पूरी तरह से डिजिटल किया जा चुका है। एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली – आर्मी रिकॉर्ड ऑफिसर प्रोसेस ऑटोमेशन (एआरपीएएन) 2.0 भी शुरू किया गया है। इस साफ्टवेयर ने 12 लाख से अधिक जूनियर कमिशन अधिकारियों और जवानों को अपने सर्विस रिकॉर्ड और नौकरी से संबंधित विभिन्न जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

01 जुलाई 2015 से सेना की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा चुका है। अधिकारियों, जेसीओ और अन्य अधिकारी एवं कर्मियों के चयन के लिए भर्ती महानिदेशालय की एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है। अब देशभर के उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर, सेना में रोजगार एवं करियर के विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उपयुक्त विकल्प का चयन कर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सेना के दिग्गजों को बेहतर और व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए सेना ने 14 जनवरी, 2016 को दिल्ली कैंट में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की स्थापना की। यह निदेशालय सेना के दिग्गजों को वयोवृद्ध देखभाल और सहायता सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह निदेशालय सेना के दिग्गजों, उनकी विधवाओं और परिजनों की शिकायतों और समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करने वाली एक संस्था के तौर पर कार्य करेगा। इस नए निदेशालय का उद्घाटन काफी धूमधाम से उत्साह के साथ किया गया।

सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 22 अगस्त 2016 को पायलट परियोजना के तौर पर एक आर्मी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (एएसटीसी) भी स्थापित किया। इस केन्द्र की स्थापना के साथ ही, सैनिकों के जीवनसाथी और उनके परिवारजनों को कौशल विकास की धारा में जोड़कर भारतीय सेना ने एक नए मिशन की शुरुआत की है। एएसटीसी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सैनिकों के जीवनसाथी और उनके परिवार के सदस्यों को एनएसडीसी की ओर से प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे और ये सभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार पाने अथवा खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए योग्य होंगे।

दूरदराज, ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने के दौरान अपने परिवार से लंबे समय तक दूर रहने और कठिनाइयों का सामना करने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विवाहित आवास परियोजना (एमएपी) में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यरत विवाहित जवानों को करीब 2,00,000 आवासों की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एमएपी के तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत करीब 71,000 आवास इकाइयां उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वयन के अंतर्गत आगे बढ़ रही है।

'रंजीत कुमार'

उड़ान से लगेगें आम भारतीय को पंख

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के जुबडहट्टी हवाई अद्ढे से क्षेत्रीय जुड़ाव योजना के शुभारम्भ से देश के छोटे शहरों तथा कस्बों में रहने वाले पेशेवर युवाओं, व्यवसायियों तथा छात्रों को मानो पंख लग गये हो। इस उड़ान योजना के अन्तर्गत ''उड़े देश का आम नागरिक'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक घंटा तक हवाई यात्रा का किराया 2500/- रूपये निर्धारित किया है। जिससे हवाई यात्रा देश के मध्यम वर्ग की पहुंच के करीब आ गई है तथा धनाढय, अमीर तथा ऊंचे वर्ग के लोगों का हवाई यात्रा पर एकाधिकार लगभग समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यह घोषणा करना करना कि वह हवाई चप्पल पहने यात्री को भी हवाई यात्रा सुविधा की परीधि में लाना चाहते है। यह केन्द्र सरकार की आम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उड़ान से जहां हवाई सुविधा से वंचित अब तक समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को हवाई सुविधा के अर्न्तगत क्वर किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर देश के अब तक अछूते, पिछड़े तथा दुर्गम माने जाने वाले क्षेत्रों को देश के हवाई मानचित्र पर लाया जा सकेगा। जिससे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक नए युग का संचार होगा। पहाड़ों की रानी शिमला के जुब्बरहट्टी में लगभग पांच

साल बाद हवाई जहाज उतरा। ब्रिटिश राज की राजधानी रहे शिमला में हर वर्ष लाखों देशी तथा विदेशी पर्यटन आते है तथा इस सुरमय स्थल के हवाई मार्ग से जुड़ जाने से क्षेत्र में पर्यटन को पंख लग जाऐंगे। जिससे इस उद्योग से जुड़े लाखों परिवारों की आय में वृद्वि होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियों कान्फ्रेस के माध्यम से कडप्पा–हैदराबाद तथा नांदेड़–हैदराबाद क्षेत्रों पर सस्ती हवाई सेवा का शुभारम्भ भी किया तथा उद्घाटन के बाद तीनों हवाई मार्गो पर हवाई सेवायें शुरू हो गई। दिल्ली–शिमला हवाई सेवा एलायंस एयरलाईन्स द्वारा शुरू की गई जबकि नांदेड़–हैदराबाद तथा कडप्पा–हैदराबाद हवाई सेवा क्षेत्रीय एयरलाईन्स टरू जैट द्वारा शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत भविष्य में मुम्बई नांदेड़ सैक्टर को भी कवर किया जाएगा। उड़ान योजना के अन्तर्गत पांच एयर लाईन्स को 128 हवाई मार्गो पर हवाई यात्रा सेवायें प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गई है। योजना के अन्तर्गत एयर इंडिया–15, स्पाई जेट–11, टरबो–18, एयर डेकन–34 तथा एयर ओडिसा–50 हवाई मार्गो पर यात्रा सुविधायें प्रदान करेंगे। उड़ान योजना के अन्तर्गत 500 कि.मी. दूरी तथा एक घंटा की यात्रा का किराया लगभग 2500/- रूपये निर्धारित किया गया है। इस उड़ान योजना के अर्न्तगत कर्नाटक, पुडुचेरी, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश जैसे 20 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस उड़ान योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है। उड़ान योजना के अन्तर्गत शिमला, भटिण्डा, नेवेली, बिलासपुर, कुचविहार, नांदेड़ तथा कडप्पा हवाई अढ्ढों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस उड़ान योजना के अन्तर्गत कुल 70 हवाई अढ्ढो को चुना गया है। जिसमें से पश्चिम क्षेत्र में 24, उत्तरी क्षेत्र में–17, दक्षिणी क्षेत्र में –11, पूर्वी क्षेत्र में–12 तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 6 हवाई अढ्ढे शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिन तीन मार्गो पर हवाई उडानों का शुभारम्भ किया गया व पर्यटन, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टि से काफी अहम माने जाते है। कडप्पा को पश्चिम भारत से पवित्र तिरूमला धार्मिक स्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है तथा यह स्थल मसाले तथा खाद्य प्रदार्थो के लिए काफी मशहुर है। पहाड़ों की रानी शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है तथा 1864 में यह ब्रिटिश राज की राजधानी बना था। नांदेड़ महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है। गोदावरी नदी के तट पर बसे नांदेड़ शहर को दशम गुरू श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी ने अपना स्थाई निवास बनाया था तथा गुरू ग्रन्थ साहिब को गुरू की उपाधि प्रदान की थी।

-पसूका-

''डॉ. जी.एल. महाजन''

हजारों भवनों के नियमितकरण पर वीरभद्र सरकार पर संगीन इल्जाम,बताया पैसा उगाही का धंधा

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार पर प्रदेश भर में अनियमित भवनों को रेगुलर करने के लिए टीसीपी एक्ट में किए संशोधन को आम भवन मालिकों से पैसा वसूलने का जरिया बनाने जैसा संगीन इल्जाम लग गया है। यही नहीं ये भी इल्जाम लग गया है कि जिन भवन मालिकों के मकान 40 – 50 साल पहले बन गए हैं उनके भवनों के सेफ्टी सर्टिफिकेट को भी पैसा उगाही का जरिया करार दिया है।

भवन नियमितिकरण के मसले पर बनी उप नगरीय जन कल्याण समन्वय समिति ने वीरभद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि टीसीपी एक्ट में ये संशोधन बिल्डर माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इससे आम भवन मालिकों को कोई लाभ नहीं होने वाला हैं। यही नहीं प्रदेश के हजारों भवन मालिकों को तो ये ही मालूम नहीं हैं कि उनका क्षेत्र भी टीसीपी एक्ट की जद में हैं। इन इलाकों में सरेआम कई-कई मंजिलें मकान बन रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं हैं। समिति के अध्यक्ष चंद्रपाल मेहता,महासचिव गोविंद चतरांटा, उपाध्यक्ष कंवर भूपेंद्र सिंह, कृष्ण गोपाल ठाकुर, एनसी शर्मा व शिमला नागरिक सभा के कोषाध्यक्ष जीयानंद ने साझा संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा पर जमकर हमला बोला व कहा कि जिन लोगों के मकान नियमित होने थे उनसे कभी बातचीत ही नहीं की गई।

समिमि ने कहा कि इस समस्या का समाधन वन टाइम सेटलमेंट था व इस अवधि में निर्माण पर रोक लग जानी चाहिए थी। जो भी भवन बनता वो स्थानीय निकायों की मंजूरी के बाद बनता। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।

समिति के अध्यक्ष चंद्रपपाल मेहता ने कहा कि सरकार तथ्यों की तह में गए बगैर मर्ज्ड एरिया से नियमितिकरण की एवज में पैसा वसूलने की जिद्द पकड़कर बैठी है।

समिति के सचिव गोविन्द चतरान्टा ने कहा कि टीसीपी और नगर निगम स्वयं भी इस बात से आश्वस्त नहीं है कि प्रदेश भर में कुल कितने मकान हैं जो नियमिति किए जाने हैं। टीसीपी जहां ऐसे मकानों का आंकड़ा 13 हजार बताती है वहीं अन्य स्रोतों द्वारा इसकी संख्या 35 हजार से 45 हजार के बीच बताई जा रही है। वहीं 2016 – 17 में नगर निगम शिमला में ही गृह कर देने वालों की संख्या 26 हजार के लगभग है। चतरान्टा ने वीरभद्र सरकार से पूछा है कि आधी – अधूरी जानकारी के साथ नियमों और अधिनियमों की आड़ में आम जनता पर बिना उनका पक्ष सुने पेनेल्टी थोपना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने एलान किया कि भवन मालिक को पैनाल्टी नहीं देंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि 1977 से 1997 के बीच दो दशकों में टीसीपी विभाग कहां सोया हुआ था।

टीसीपी ने 2 जुलाई 2009 को एक चिटठी जारी करके माना था कि अधिकतम 600 वर्ग मीटर निर्माण जो 3 मंजिल से ऊपर न हो उसे बिना शर्त नियमित माना जाएगा। लेकिन नियमितिकरण की मौजूदा नीति में उस पत्र का जिक्र तक नहीं है और पूरे निर्माण क्षेत्र को अवैध करार देकर लाखों रुपये ऐंठने का धंधा किया जा रहा हैं।

समिति के उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल ने स्पष्ट किया कि शिमला और इसके आसपास भवन मालिकों और भवनों की अलग – अलग श्रेणियां हैं। एक तरफ पुराना शिमला शहर है जिस पर पहले से ही नगर निगम अधिनियम के अनुसार भवन निर्माण की शर्तें लग रही हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मर्ज्ड एरिया जो पहले पंचायतों का हिस्सा था वहां जमीन खरीदकर मकान बनाएं हैं। वहीं इस क्षेत्र में स्थानीय बाशिंदे भी हैं जो पुश्त – दर – पुश्त यहां रह रहे हैं और अभी भी कृषि और पशुपालन के कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार इस सब की अनदेखी करके मात्र बिल्डरों को ही फायदा देने वाली नीति लागू कर रही है।

समन्वय समिति के उपाध्यक्ष कंवर भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि यह कानून बसे हुए लोगों को उजाड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा टीसीपी के पास लैंड यूज मैप ही नहीं बनाया हैं। यही नहीं बीजेपी व कांग्रेस की सरकारें सता में आती रही और और वोट बैंक व चहेतों की खातिर क्षेत्रों को टीसीपी के दायरे के भीतर व बाहर लाती रही। जब सरकार को ओपेक का सीवरेज प्रोजेक्ट या जेएनएनआरयूएम चाहिए था तो कई गांवों को एमसी में शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट मिलने व विरोध के बाद दूसरी सरकार ने इस क्षेत्र को बाहर कर दिया।

कंवर ने वीरभद्र सिंह सरकार से सवाल किया कि वो बताएं कि प्रदेश में कितना क्षेत्र और कितने गांव टीसीपी के अन्दर हैं। इन क्षेत्रों में 1977 से पहले और उसके बाद कितने भवन बने हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है।

समिति के महासचिव चतरान्टा ने संगीन इल्जाम लगाया कि वीरभद्र सरकार इसलिए भी एकमुश्त राहत नहीं देना चाहती क्योंकि इससे आम जनता को तो लाभ मिल जाएगा लेकिन नेताओं की झोली भरने वाले बिल्डरों को भविष्य में नियमों का पालन करके ही निर्माण करना पड़ेगा, जो वे नहीं चाहते। बिल्डर तो यही चाहेंगे कि सरकार बार – बार नियम बदले और वे हर बार कुछ पैसा देकर अपने अवैध निर्माण को नियमित करा सकें जैसा आज तक होता आया है।

वहीं शिमला नागरिक सभा के कोषाध्यक्ष जीयानन्द शर्मा ने कहा कि टीसीपी तमिलनाडु और कर्नाटक का उदाहरण देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि उन जगहों में 20 हजार रूपये वर्गमीटर के हिसाब से अवैध निर्माण नियमित किए गए हैं लेकिन वह इस बात को छुपा रही है कि इन शहरों में नियमितिकरण की ये फीस ली गई है वे महानगरों की श्रेणी में आते हैं और दूसरा तथ्य टीसीपी यह भी छुपा रही है कि दिल्ली में ऐसी कालोनियां बिना शर्त नियमित की गई जो सरकारी जमीन पर बनी हैं। यहां तो लोगों की अपनी जमीन है तो यहां भवन बिना शर्त क्यों नियमित नहीं हो सकते।

विफलताओं का ठीकरा केंद्र की एनडीए सरकार पर फोड़ती है प्रदेश सरकार:धूमल

शिमला/शैल। हमीरपुर के परिधी गृह में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र की एनडीए सरकार के सर पर फोड़ती रहती है। केंद्र से रिकोर्ड पैसा मिलने के बावजूत विकास करवाने में असफल प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेवारियों से कैसे भागती है इसका ताजा उदाहरण चंडीगढ़ में हुई केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में देखने को मिला। उत्तर क्षेत्रीय राज्यों की हुई इस बैठक में हिमाचल के मंत्रियों ने बीबीएमबी में प्रदेश को 7. 19 प्रतिशत हिसा देने की मांग की। इससे बड़ी नालायकी इस सरकार की क्या हो सकती है जो सितम्बर 2011 में उच्चतम न्यायालय के हिमाचल के पक्ष में सुनाये निर्णय को भूल गयी। उस फैसले को लागू करवाने के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार को केंद्र के साथ बैठ कर अपने दावे प्रस्तुत करने को कहा था। तत्कालीन भाजपा सरकार ने बकाया 4268 करोड़ रूपए की बकाया राशी के भुगतान का दावा किया था। सरकार के पास इस दावे के विस्तृत तथ्यों का रिकोर्ड है। प्रदेश के हिस्से की आवाज दिसम्बर 2012 में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश सरकार सही ढंग से नहीं रख पाई है। जो अधिकारी भी प्रदेश का पक्ष रखने गये वो भी सही ढंग से दावा नहीं कर पाए परिणाम स्वरुप पंजाब और हरियाणा ने उल्टा हिमाचल पर 1600 करोड़ रूपए देने का दावा कर दिया। जिसका उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाई और प्रदेश सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध ली।

प्रो धूमल ने बताया की 1 नवम्बर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था तो यह तय हुआ था की आबादी के हिसाब से परिसम्पत्तियों और देनदारियों का बंटवारा होगा। हरियाणा को उसका हिस्सा मिल गया। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश का 7.19 प्रतिशत हिस्सा बनता था प्रदेश ने अपनी देनदारियां तो दे दी लेकिन हिस्सा लेने में नाकामयाब रही। उसी आधार पर चंडीगढ़ में भी हिमाचल का हिस्सा बनता था। प्रदेश सरकार को अपना हिस्सा लेने के लिए केंद्र सरकार पर जिम्मेवारी डालने की बजाए उच्चतम न्यायालय में जाकर प्रयास करना चाहिए था। साढ़े चार सालों में कांग्रेस सरकार की इस मामले पर चुप्पी रहस्यमयी है। दलगत राजनीति से उपर उठकर प्रदेश हित में प्रदेश का हिस्सा प्राप्त करने को सरकार कोई कदम उठाती है तो विपक्ष साथ देगा।

प्रो. धूमल ने कहा की प्रदेश ऋण के जाल में फंस चुका है। केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रूपए अतिरिक्त मिलने के बावजूत प्रदेश पर पचास हजार करोड़ रूपए का कर्जा चढ़ गया है। राजस्व घाटे के अनुदान के रूप में यूपीए सरकार के समय मिलने वाले 7200 करोड़ की जगह एनडीए सरकार ने 28000 करोड़ रूपए प्रदेश को मिले। 13वें वित्त आयोग में प्रदेश को मिले थे 20625 करोड़ रूपए और 14वें वित्त योग में प्रदेश को 40600 करोड़ रूपए मिले। केन्द्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा पहले 32 प्रतिशत अब 42 प्रतिशत हो गया है। अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रदेश को इन पांच वर्षो में एक लाख पचीस हजार करोड़ रूपए मिलने हैं इतना धन केंद्र से प्रदेश को मिल रहा है तो प्रदेश पर इतना कर्जा क्यूँ चढ़ाया गया?

प्रदेश सरकार हर फंट पर असफल रही है। प्रदेश के विकास की गति मंद हो गयी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश में माफिया राज चल रहा है।

प्रो. धूमल ने कहा की प्रदेश सरकार असवैधानिक तरीके से शिमला नगर निगम के चुनाव टाल रही है जबकि सविधान में साफ लिखा है की किसी भी पंचायत या स्थानीय निकाय के कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन पराजय सामने देख सरकार चुनाव टाल रही है।

प्रो. धूमल ने वीरभद्र सिंह के हमीरपुर दौरे पर पत्रकार के सवाल में जवाब देते हुए कहा कि जब जब वीरभद्र सिंह हमीरपुर आते हैं तब तब भाजपा हमीरपुर में जीतती है। लोस चुनाव हो या भोरंज उप – चुनाव – पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा की वीरभद्र सिंह हमीरपुर आते रहें और भाजपा जीतती रहे।

प्रो. धूमल ने कहा की 4 जून को हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आयेंगे। प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में त्रिदेव सम्मेलनों की कड़ी में शिमला और कांगड़ा मण्डी में त्रिदेव सम्मेलन हो चुके हैं। 11 जून को मंडी के त्रिदेव सम्मेलन में केन्द्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आयेंगे। मतदान केंद्र के अध्यक्ष, पालक और बीएलए ही इस सम्मेलन में आयेंगे। उनको पार्टी पहचान पत्र जारी करेगी जिनके ऊपर ही इन सम्मेलनों में प्रवेश करने दिया जायेगा।

जे.पी.कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार करने की मांग

अर्की/शैल। मांगल विकास परिषद के महासचिव व अर्की विधानसभा हलके से भारतीय जनता पार्टी से विधायक के टिकट के दावेदार नंद लाल चौहान ने वीरभद्र सरकार से जे.पी. कंपनी के उन अफसरों को गिरफ्तार करने की मांग की है जिनके खिलाफ अर्की की अदालत के आदेशों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

यहां जारी ब्यान में उन्होंने कहा की जे.पी. कंपनी के अफसरों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किए हुए तीन सप्ताह से भी अधिक हो चुके है लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। चौहान ने इस बात पर चिंता जताई व कहा कि अगर इस तरह की कोई एफआईआर स्थानीय लोगों व ट्रक ओपरेटरों के खिलाफ दर्ज हुई होती तो पुलिस अब तक सब को गिरफ्तार कर लेती व जमानत तक ना होने देती।

उन्होने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अर्की विधानसभा हलके के हालिया दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हे चुनावी बेला पर अब जाकर अर्की की याद आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछा कि वो बताए कि जे.पी. कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं होने दे रहे है। क्या कोई रिश्तेदारी निभाई जा रही है या कोई सौदेबाजी चल रही है।

चौहान ने कहा कि पिछले दो सालों में बागा सीमेन्ट कारखाने मे करीब 1100 ट्रको को फाईनेंसर उठा कर ले गए है। वीरभद्र को अब तक उनकी याद नही आई है। उन्होने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जनना चाहा कि क्या वो प्रभावित ट्रक ओपरेटरों के ट्रक फाईनेंसरो से वापिस दिलाने के लिए कोई कदम उठाएंगे ।

उन्होंने कहा कि इन ट्रक ओपरेटरों के 30 करोड़ रुपये जे.पी. कंपनी ने अदा करने है। माल भाड़े की ये राशी न मिलने से ट्रक ओपरेटरों के सामने अत्महत्या करने जैसी स्थिति आ गई है उन्होने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछा कि इन ट्रक ओपरेटरों को उनका पैसा दिलाने के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वो सोलन प्रशासन, ट्रक ओपरेटरों व जे.पी.प्रबंधकों के बीच वार्ताओं का नाटक न चलाएं। इस तरह के प्रपंच स्थानीय जनता वर्ष 2004 से देखती आई है सरकार सीधी कारवाही करे व जे.पी. कंपनी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सुक्खु को क्यों बार-बार निशाना बना रहे हैं वीरभद्र

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुक्खविन्दर सिंह सुक्खु पर हर संभव

मंच से लगातार निशाना साधते आ रहें हैं। जो स्थिति सरकार बनने के समय विभिन्न निगमो/बार्डो में हुई ताजपोशीयों को लेकर हुई थी ठीक वैसा ही अब हो रही है। संगठन द्वारा की जा रही हर नियुक्ति पर वीरभद्र की तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं। मुख्यमन्त्री और संगठन के मुखिया के बीच इस तरह की सार्वजनिक निशाने बाजी से सरकार व संगठन की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पडना स्वभाविक है। निष्पक्ष विश्लेषकों की नजर में इस समय सरकार और संगठन में एक बराबर अराजकता का वतातवरण बना हुआ है। सरकार में जो करीब एक दर्जन लोग सीधे लाभार्थी हैं उनको छोड़कर प्राय हर आदमी सरकार से हताश है संगठन तो आम आदमी के लिये मायने ही नहीं रखता है।

इस परिदृश्य में इन दिनों यह सवाल आम चर्चा में है कि वीरभद्र ऐसा कर क्यों रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वींरभद्र को जो राय उनके गिर्द बैठे अधिकारियों से मिल रही है वह उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वीरभद्र पर उनके नाम से बनाये गये एनजीओ के दवाब के कारण ऐसा हो रहा है। चुनाव इसी वर्ष के अन्त तक होने हैं यदि स्थितियां सामान्य रही तो। अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो लोग एनजीओ के नाम पर वीरभद्र से जुड़े है उनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की होना स्वभाविक है। लेकिन एनजीओ के सक्रिय कार्यकर्ता होने से ही कांग्रेस के टिकट के लिये उनका दावा पुख्ता नही हो जाता। यदि यह लोग इस बार किसी भी कारण से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षा का अन्त हो जायेगा। बल्कि सूत्रों की माने तो एनजीओ से जुड़े एक दर्जन नेता तो हर हालत में यह चुनाव लडना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा तभी पूरी होती है यदि कांग्रेस उन्हें टिकट दे और यह तभी संभव है यदि पार्टी अध्यक्ष वीरभद्र स्वयं हो जायें या उनका कोई विश्वस्त इस पद पर कब्जा कर पाये। यदि ऐसा नही हो पाता है तो यह एनजीओ ही वीरभद्र के लिये एक बडी समस्या बन जायेगा। क्योंकि एनजीओ के साथ जुडे लोगों को वीरभद्र से ज्यादा विक्रमादित्य का सहारा है। विक्रमादित्य भी चुनाव टिकटों के आंवटन को लेकर समय-समय पर जीतने की संभावना'' की जो शर्त लगा देते हैं उसके पीछे यही धारणा मानी जा रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यहखेल कब तक चलता रहेगा।

इस समय संगठन चुनावों की प्रक्रिया से गुजर रहा है। संगठन को यह अपने चुनाव चुनाव आयोग के फरमान के कारण करवाने पड़ रहे हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर पर यह चुनाव तय समय सीमा के भीतर पूरे नहीं होते हैं तो पार्टी की मान्यता पर संकट आ जायेगा। ऐसे में इस समय वीरभद्र के लिये राजनीतिक विवशता बन गयी है कि या तो वह चुनावों के माध्यम से संगठन पर कब्जा करें या फिर चुनाव टालकर सुक्खु को हटवाने में सफल हो जायें। यदि किन्ही कारणों से यह सब संभव नही हो सका तो वीरभद्र का एनजीओ ही प्रदेश में पार्टी के विघटन का कारण बन जायेगा। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता वीरभद्र की इस नीयत और नीति पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन यह भी सब जानते हैं कि चुनावों को वक्त पर पार्टी पर कब्जा करने के लिये वीरभद्र किसी भी हद तक जा सकते हैं जैसा कि उन्होने 2012 के चुनावों से पहले किया था। सुक्खव पर साधे जा रहे निशानों को इसी परिप्रेक्ष में देखा जा रहा है। वैसे इस समय सुक्खु वीरभद्र पर भरी पड़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हाईकमान भी वीरभद्र की नीयत और नीति से परिचित हो चुकी है। संभवत:

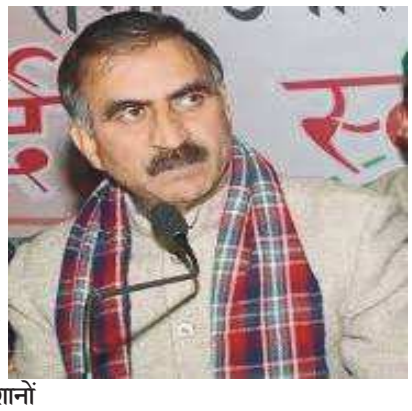

इसी कारण से अंबिका सोनी अब हिमाचल का प्रभार छोड़ने का प्रयास कर रही है।

न्याय के लिये अनशन .....पृष्ठ 1 का शेष

क्योंकि इसमें सवाल उठता है कि जब कंपनी Sub contractors से काम ले रही थी तो यह विभाग के संज्ञान में क्यों नही आया? विभाग का कन्सलटैन्ट क्या जिम्मेदारी निभा रहा था? जब पेमैन्ट का विवाद विभाग के संज्ञान में भी आ गया तो विभाग ने उसे सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? कंपनी जब नियमों का उल्लंघन कर रही थी तो उसके खिलाफ कारवाई क्यों नहीं की गयी? 142 करोड़ का ठेका बढ़कर 186 करोड़ कैसे हो गया? क्या यह सब विजिलैन्स जांच का विषय नहीं बनता है।

राज्य सहकारी बैंक की हिम .....पृष्ठ 1 का शेष

की श्रेणी में आया है। जिसका अर्थ है कि तब तक गैर सहकारी क्षेत्र के लिये कमर्शियल लोन बैंक नहीं दे सकता था। यह राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से आईडर फाईनेश्यल सर्विसज चण्डीगढ़ को दिये ऋण के प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में कुछ हल्कों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 31.3.2011 से पहले तक के ऋण धारकों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। बैंक सूत्रों के मुताबिक कुछ होटलों और हाईडल परियोजनाओं को दिये ऋण एनपीए हो चुकें हैं। संभवत: इस योजना को लाने में ऐसे लोगों का भी दवाब रहा है।

इसी कड़ी में न्यू शिमला के सैक्टर दो में एक श्रीमति सीमा वर्मा को दिया लोन भी बैंक के गलियारों में काफी चर्चित हो रहा है। सीमा वर्मा ने न्यू शिमला में मकान बनाने के लिये बैंक की माल रोड शाखा से वर्ष 2000 में कोई दस लाख का ऋण लिया था। सीमा वर्मा ने जो मकान बनाया है वह उसकी अपनी जमीन में न होकर हिमुडा की जमीन पर है। यह 20.6.2015 को एसओ शिमला द्वारा दिये फैसले में स्पष्ट हो चुका है। इस संद्धर्भ में सीमा चौहान के खिलाफ 2013 से ही शिकायतें चल रही थी। विजिलैन्स तक शिकायत गयी थी। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गयी डिमारकेशन के समय विजिलैन्स के एक इन्सपैक्टर और एक सब इन्सपैक्टर भी शामिल रहे हैं। हिमुडा के जेई और पटवारी भी डिमारकेशन में शामिल रहे हैं। इन सबके ब्यान रिकार्ड पर लगे हैं। एस ओ के फैसले की जानकरी हिमुडा और विजिलैन्स तथा सरकार के राजस्व विभाग को रही है। लेकिन सरकारी तन्त्र के किसी भी कोने से सीमा वर्मा के खिलाफ कोई कारवाई अभी तक अमल में नही लायी गयी है। जबकि न्यू शिमला रैजिडैन्शयल अलॉटी संगठन ने वाकायदा सरकार को दिये प्रतिवेदन में इस प्लॉट को रैजिडैन्शयल सोसायटी को रिस्टोर करने की मांग कर रखी है। इस सोसायटी के मुताबिक न्यू शिमला कॉलीनी की जमीन की मालिक हिमुडा नही है। हिमुडा केवल ट्रस्टी है। न्यू शिमला के इस पक्ष पर शैल आने वाले दिनों में खुलासा करेगा।

सीमा वर्मा के इस मकान में वर्ष 2009 से राज्य सहकारी बैंक की ब्रांच भी कार्यरत है। जब इसकी डिमारकेशन की गयी थी उसकी जानकारी इस ब्रांच को रही है और ब्रांच के माध्यम से बैंक के शीर्ष प्रबन्धन को भी रही है। बैंक सूत्रों के मुताबिक सीमा वर्मा को वर्ष 2000 में दिया गया दस लाख का ऋण पहले दिन से ही एनपीए हो गया था। बल्कि इसी कारण से यहां पर बैंक की ब्राच खोलने का प्रबन्ध किया गया है। बैंक इस ब्रांच का करीब 7800 रूपये मासिक किराया दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद यह ऋण मूल के तीन गुणा से भी अधिक हो गया है। सूत्रों की माने तो बैंक प्रबन्धन ''हिम ऋण निवारण''योजना के तहत सीमा वर्मा को बड़ी राहत देने का प्रयास कर रहा है। सीमा वर्मा का मकान उसकी अपनी जमीन पर नही है। इसकी जानकारी बैंक हिमुडा और सरकार सबको है लेकिन किसी भी स्तर पर इस मामले पर कोई कारवाई नहीं हो रही है। चर्चा है कि बैंक के शीर्ष प्रबन्धन का पूरा सहयोग सीमा वर्मा को मिल रहा जिसके चलते कहीं से भी कोई कारवाई नहीं हो रही है। सूत्रों की माने तो इसकी जानकारी प्रदेश उच्च न्यायालय को भी भेज दी गयी है। क्योंकि 2012 में उच्च न्यायालय ने न्यू शिमला कॉलोनी को लेकर आये मामलों में दिये फैसले में हिमुडा की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाये हैं। सीमा वर्मा जैसे और भी कई मामले चर्चा में आ रहे हैं । माना जा हरा है कि इस ऋण निवारण योजना से बैंक को करोड़ो का नुकासान पंहुचेगा।

क्यों नही हो पाये नगर निगम शिमला के चुनाव

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के वर्तमान हाऊस का कार्यकाल 4 जून को समाप्त हो रहा है। लेकिन 5 जून को नये हाऊस का गठन नहीं हो पायेगा क्योंकि इसके लिये चुनाव ही नही हो पाया है। 5 जून को निगम पर सरकार को प्रशासक बैठाना होगा जो किअगले चुनावों तक रहेगा। लेकिन यह अगले चुनाव कब होंगे इसको लेकर संशय बना हुआ है। हांलाकि इस सद्धर्भ में एक राजू ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर कर रखी है। राजनीतिक दल यह चुनाव समय पर न हो पाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बल्कि जो याचिका दायर हुई उसमें राज्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा दिये जाने का भी आग्रह किया गया है। याचिका भाजपा के कार्यकर्ता की ओर से दायर की गयी है। जिसमें चुनाव आयुक्त के खिलाफ कारवाई की मांग की गयी है। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है और एक्ट के मुताबिक उसके खिलाफ ऐसी कारवाई का कोई प्रावधान ही नहीं है फिर भी ऐसी कारवाई की मांग किये जाने से याचिका के राजनीति से प्रेरित होने की गंध आना स्वभाविक है।

किसी भी चुनाव का मूल आधार वोटर लिस्ट होती है। यह वोटर लिस्ट तैयार करने के लिये चुनाव आयोग ने जिलाधीश शिमला को बतौर ईआरओ 11.4.2017 को निर्देश दिये। इन निर्देशों पर जिलाधीश शिमला ने 5.5.2017 को नई वोटर लिस्टें नोटिफाई कर दी। यह लिस्टें आने पर प्रतिक्रियाएं आयी और इनमें गडबडी होने के आरोप लगे। इन लिस्टों के लिये 1.1.2017को आधार तिथि बनाया गया था। इन लिस्टों के मुताबिक वोटर की संख्या 88167 कही गयी थी। प्रतिक्रियाएं आने के कारण राज्य चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग के शिमला कार्यालय से निगम क्षेत्र के वोटरों की सूची मांगी। यह सूची भी 5.5.2017 को ही मिल गयी और इसमें मतदाताओं की संख्या 85546 आयी इसका आधार भी 1.1.2017 ही था। प्रतिक्रियाएं आने के साथ ही जिलाधीश शिमला के पास 2200 आवेदन फैसले के लिये लंबित पडे थे। इस परिदृश्य में करीब 5000 मतदाताओं का अन्तर सूचियों में सामने आ गया। ऐसे में एक निगम क्षेत्र में 5000 हजार मतदाताओं को नज़र अन्दाज करना पूरे चुनाव की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर देता। इस परिदृश्य में राज्य चुनाव आयोग ने इन मतदाता सूचियों को ठीक करने के निर्देश जारी कर दिये जिनके मुताबिक 23 जून तक यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

जिलाधीश शिमला ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग के साथ अपनी सूचियों में आये अन्तर के कारण निगम क्षेत्र में अब कुछ पंचायत क्षेत्रों के जुड़ जाने को कारण बताया है। स्मरणीय है कि निगम के पिछले चुनाव 2012 में हुये थे और उस समय 25 वार्ड थे जिनमें 80 हजार कुछ वोटर थे। इस बार निगम का क्षेत्र बढ़ाकर इसके वार्डो की संख्या 34 कर दी गयी है। वार्डो की संख्या बढ़ाये जाने पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई एतराज़ नही उठाया है। 2012 में किसी भी वार्ड में वोटरों की संख्या दो हजार से कम नहीं थी। लेकिन इस बार छ: वार्डो भट्ट-कुफर, कंगनाधार, मजाठ, मल्याणा, पटयोग और अप्पर ढ़ली में यह संख्या दो हजार से कम है। अप्पर ढ़ली में तो यह संख्या केवल 814 है। जबकि कुछ वार्डो में यह संख्या 2012 से भी कम है। बालूगंज में 2012 में 4189 वोटर थे और इस बार 2345 हैं। टुटू में पिछली बार 3558 वोटर थे इस बार 2264 है। मल्याणा में पिछली बार 3557 थे जबकि इस बार 1811 हैं। इस तरह वोटर लिस्टों में यह भिन्नता अब भी ठीक हो पाती है या नहीं इसको लेकर संशय बरकरार है। 2012 में 25 वार्डो में जब 80,000 से अधिक वोटर थे तो इस बार कुछ पंचायत क्षेत्रों के मिलने और वार्डो की संख्या 34 हो जाने से वोटरों का बढ़ना तो स्वभाविक है लेकिन एक ही तिथि 1.1.2017 को दो संस्थाओं की गिनती में इतना अन्तर कैसे हो सकता है इस सवाल का जवाब अब नयी संशोधित लिस्टों के आने से ही स्पष्ट हो पायेगा।

मतदाता सूचियों पर सबसे पहली प्रतिक्रिया सी पी एम की ओर से आयी थी और उसने इनमें संशोधन की मांग करते हुए चुनाव दो माह के लिये आगे कर देने का आग्रह किया था। अब संशोधित लिस्टे आने के बाद यह दल संतुष्ट हो पायेंगे या फिर किसी बहाने से चुनाव आगे टल जायेंगे इसका खुलासा तो जून अन्त में ही हो पायेगा।